(c) whether there is any proposal to introduce monopoly procurement of raw jute at economic prices in view of the continued failure of the Jute Corporation of India operations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) Yes, Sir.

(b) A large carry over of raw jute from the preceding year's crop combined with a good crop in the current year depressed the prices of raw jute. However, the JCI procured 8.42 lakh bales of raw jute to reduce the adverse effects of low prices on the growers.

(c) No such scheme is under consideration of the Government at present.

बाड़मेर जिले के मीलहरी गांव में अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा

1153. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विभाग ने सैनिकों के मकान तथा प्रशिक्षण केन्द्र भवन के निर्माण के लिये राजस्थान राज्य के बाडमेर जिले के मीलहरी गाव मे खसरा सख्या 34 तथा खसरा सख्या 76 के अधीन 133.20 एकड खातेदारी भूमि का वर्ष 1975 मे अधिग्रहण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि से निकाले गये भू-स्वामियो द्वारा बार-बार दावा किये जाने और राज्य के राजस्व विभाग द्वारा रक्षा विभाग का ध्यान बार-बार आकर्षित किये जाने के बावजूद भी रक्षा विभाग ने इन लोगों को कोई मुआवजा अदा नही किया है; और यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उक्त खातेदारी भूमि के लिये आवश्यक मुआवजा सही-सही किस तारीख तक भू-स्वामियों को अदा कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग). मार्च, 1976 में बाड़मेर जिले के मीठरी खुर्द गांव में 133.20 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी । आर० ए० आई० पी० ऐक्ट के अधीन अधिग्रहीत भूमि प्राप्त करने के लिए सरकारी मंजूरी दिसम्बर, 1977 में दी गई थी । उक्त भूमि अभी तक अर्जित नहीं की गई है ।

2. यद्यपि भूमि का अर्जन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन भूमि के स्वामी जनवरी, 1976 में भूमि अधिग्रहण के बाद से आवर्ती मुआवजे के हकदार हैं । यह आवर्ती मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया है । उक्त अधिनियम के अधिन सक्षम प्राधिकारी, बाड़मेर के कलक्टर ने नवम्बर, 1976 में आवर्ती मुआवजे का निर्धारण किया था, परन्तु सैनिक सम्पदा अधिकारी जयपुर और निदेशक, रक्षा भूमि और छावनियां दक्षिणी कमान ने कलक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे को अत्यधिक पाया । कलक्टर द्वारा निर्धारित की गई लागत और स्थानीय रक्षा भूमि और छावनी प्राधिकारियों द्वारा उचित समझी गई लागत के बीच का यह अन्तर कलक्टर तथा रक्षा भूमि और छावनी प्राधिकारियो के बीच विचार-विमर्श और पत्राचार का विषय रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आवर्ती मुआवजे के भुगतान में विलम्ब हुआ है । माननीय सदस्य के साथ-साथ सरकार को भी इस विलम्ब के लिए चिन्ता है । मामले के ब्यौरे मंत्रालय को प्राप्त हो गए हैं । वित्त रक्षा मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा करने के बाद उचित मुआवजा तय किया गया है और इस संबंध में भुगतान करने के लिए कलक्टर को आदेश भेजे जा रहें है ।

Number of looms in handloom industry

1154. SHRI NARSINH MAKWANA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of looms in the handloom industry, State-wise;

(b) the number of persons employed in this industry at present;

(c) the concessions given to this Industry by Government; and

(d) the arrangements to provide them raw materials and to purchase the finished goods?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) The total number of handlooms in the country are given State-wise in the attached statement.

(b) The number of persons employed in the industry at present is 67 lakhs.

(c) Yarn used by handlooms in the form of plain reel hank yarn has been totally exempted from excise duty. In respect of double hank cross reel yarn, concessional duty is applicable in respect of purchases made by the handloom weavers cooperatives and the